उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-64/2016/2433/37-1-2016-5(101)/2008
लखनऊ दिनॉक 18 नवम्बर, 2016
कार्यालय आदेश

डा0 अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को पशुपालकों को निःशुल्क वितरण हेतु दवाओं का क्रय करने, फर्जी तरीके से बिल वाउचर तैयार कराकर रू0 8,34,388.12 की शासकीय क्षति पहुँचाने एवं शासन को गलत सूचना देने इत्यादि गम्भीर अनियमितताओं/आरोपों के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-3895/37-1-2011-5(101)/2008, दिनॉक 26-10-2012 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-5254/37-1-2011-5(101)/2008, दिनॉक 26-10-2012 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी एवं परियोजना निदेशक, ए0वी0आर0वाई0, मुख्यालय को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इस सम्बन्ध में डा0 अशोक कुमार शर्मा द्वारा रिट याचिका संख्या-70(एस0बी0)/2013 डा0 अशोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य योजित की गयी। योजित की गयी रिट याचिका संख्या-70(एस0बी0)/2013 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 6-3-2013 के अनुपालन में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1433/37-1-2013-5(101)/2008, दिनॉक 28-5-2013 द्वारा निलम्बन आदेश दिनॉक 26-10-2012 को स्थगित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही को यथावत चलते रहने के आदेश पारित किये गये। अग्रेतर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1978/37-1-2014-5(101)/2008, दिनॉक 26-11-2015 द्वारा डा0 शर्मा को परिनिन्दा का दण्ड प्रदान करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया तथा शासन के पत्र संख्या- 2311/37-1-2016-5(101)/2008, दिनॉक 26-8-2016 द्वारा डा0 शर्मा को इस आशय की नोटिस निर्गत की गयी कि वे यह अवगत करायें कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के कार्यालय आदेश दिनॉक 26-11-2015 द्वारा दिये गये दण्ड परिनिन्दा के दृष्टिगत उनके निलम्बन अवधि के वेतन भत्तों को क्यो न जीवन निर्वाह भत्ते की सीमा तक सीमित रखा जाय।

2- उक्त नोटिस के क्रम में डा0 शर्मा का उत्तर उनके पत्र दिनॉक 5-9-2016 द्वारा प्राप्त हुआ। डा0 शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर के परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है, जो लघु दण्ड की श्रेणी में आता है। अतः श्री राज्यपाल डा0 अशोक कुमार शर्मा के निलम्बन अवधि दिनॉक 26-10-2012 से 28-5-2013 तक की अवधि को ड्यूटी पर बितायी गयी अवधि मानते हुए निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव।

संख्या-64/2016/2433(1)/37-1-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आगरा/सहारनपुर मण्डल।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राहुल सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in